संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र.9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2017 / 366 भोपाल दिनॉक 21/ 04 / 2017

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

विषय :–पोस्ट बैसिक बी.एस.सी.नर्सिंग / एम.एस.सी नर्सिंग स्टॉफ नर्सेस के संचालनालय में दस्तावेजो के परीक्षण उपरान्त सेवापुस्तिका में उच्च शैक्षणिक योग्यता अंकित करने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र कं 9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2016 / 965 दिनांक 08.11.2016 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जिलो में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पश्चात् प्राप्त की गई उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं अध्ययन अवकाश सेवा पुस्तिका में अंकित करने हेतु लिखा गया था। जिसमें स्पष्ट लेख किया गया था कि उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु संचालनालय से प्राप्त अनुमति पत्र का आदेश क्रमांक एवं प्रशिक्षण में जाने हेतु संबंधित संस्था द्वारा स्टाफ नर्स को कार्यमुक्त करने का आदेश क्रमांक एवं दो वर्ष के अध्ययन अवकाश स्वीकृति का आदेश क्रमांक सेवा पुस्तिका में अंकित करे। जिससे स्पष्ट होता है कि जिन कर्मचारियों द्वारा विभाग के नियमानुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की गई है उन्ही की शैक्षणिक योग्यता एवं अध्ययन अवकाश सेवापुस्तिका में दर्ज किया जाना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों ने विभाग के नियमानुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता (जी.एन.एम. / पो.बे.बी.एस.सी.नर्सिंग / एम.एस.सी.नर्सिंग) प्राप्त की है, केवल उन्ही कर्मचारी की उच्च शैक्षणिक योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज की जावें। निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावें।

(डॉ जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र.9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2017 / भोपाल दिनॉक / 4 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, आयुक्त स्वास्थ्य मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार अपने मार्गदर्शन में कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

D:\asha\cell -- 1 D P C 2014\TRAINING\letter .docx